HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर | दिनांक 08.11.2022

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 09/04/2015 को थाना बिवांर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 202/15 धारा-354क/354/506/504 आईपीसी व 08 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त रामकरन पुत्र नुआ निवासी उमरी थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा धारा 354 आईपीसी में 04 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदंड तथा धारा 506 आईपीसी में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।